न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— **232/2016**

बउनवान

तुलसीराम पुत्र श्री रामा जाति—माली, उम्र 50 साल निवासी—मंडोली तहसील—बारां, जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 16.11.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.04.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—मंडोली, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/—रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये एकतरफा कार्यवाही कर निस्तारण किया गया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अपीलांटा का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा छोड दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.4. 2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा है। अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में भूमि पडत पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का पश्चात्वर्ती मानकर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत रेकार्ड व प्रमाण मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 473/14 निर्णय दिनांक 4.3.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 473/14 निर्णय दिनांक 04.03.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 345/15 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Web Copy - Not Official